न्यायालय :– जिला न्यायाधीश, बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

प्रकरण संख्या : 44/2025 (CIS No. 67/2025)
दीवानी विविध (उतराधिकार)

लिखमाराम पुत्र शेराराम, उम्र 65 वर्ष, निवासी जैताणियों की ढाणी, खुडासा, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर

– प्रार्थी

बनाम

(1.) हर आम व खास
(2.) प्रबंधक, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय दांया भाग, भूतल, जीवन निधि–1, भवानीसिंह रोड, जयपुर राजस्थान 302006

– विप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा **372** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते प्राप्त करने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से : श्री कुम्भाराम चौधरी, अधिवक्ता
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से : एकतरफा कार्यवाही

आदेश **दिनांक :** 09.04.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की माता हेमीदेवी पत्नी शेराराम की मृत्यु दिनांक 27.02.2024 को हो गई थी। प्रार्थी की माता हेमीदेवी की मृत्यु होने के बाद उसका विधिक वारिसान प्रार्थी ही है तथा प्रार्थी के अलावा मृतक हेमीदेवी के अन्य कोई वारिश जीवित नहीं है। प्रार्थी की माता हेमीदेवी के नाम से विप्रार्थी संख्या 2 के पास खरीफ फसल बीमा वर्ष 2023 के तहत बीमा राशि 36,887/– रुपए जमा है, जिस बीमा पॉलिसी में नोमिनी के रूप में उनके पति शेराराम का नाम दर्ज करवाया,

जबकि शेराराम का देहांत हेमीदेवी के जीवनकाल में ही हो चुका था। प्रार्थी की माता हेमीदेवी के फौत होने पर प्रार्थी द्वारा उक्त बीमा राशि प्राप्त करने हेतु विप्रार्थी संख्या 2 की बाड़मेर शाखा में आवेदन किया तथा क्लेम की राशि देने हेतु निवदेन किया गया तथा आवेदन के साथ प्रार्थी ने अपने दस्तावेज व हेमीदेवी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया था, परंतु विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की गई। मृतक हेमीदेवी का प्रार्थी ही हिन्दू विधि के अनुसार वैध उत्तराधिकारी है। प्रार्थी के अलावा मृतक हेमीदेवी के अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। साथ ही हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत भी प्रार्थी ही मृतक हेमीदेवी का वैध उत्तराधिकारी है। अतः प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी लिखमाराम को मृतक हेमीदेवी पत्नी शेराराम का उत्तराधिकारी घोषित कर प्रार्थी को मृतक हेमीदेवी के नाम विप्रार्थी संख्या 2 के पास जमा वर्ष 2023 की खरीफ फसल बीमा राशि 36,887/– रुपए प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश फरमावे।

2. आवेदन दर्ज किया जाकर विधिवत नोटिस जारी किए गए व अखबार में नोटिस प्रकाशित करवाकर आपत्तियां आमंत्रित की गयी, किन्तु अन्य कोई उजरदार उपस्थित नहीं हुआ।

3. विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 11.03.2026 को इस न्यायालय के द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. प्रार्थी के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है कि :–

> ''आया प्रार्थी लिखमाराम मृतका हेमीदेवी की मृत्यु के पश्चात् उसका विधिक वारिस/पुत्र होते हुए मृतका हेमीदेवी के नाम भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय दाया भाग, भूतल, जीवन निधि–1, भवानीसिंह रोड, जयपुर

राजस्थान 302006 के पास जमा वर्ष 2023 की खरीफ फसल बीमा राशि 36,887/– रुपए प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है?''

5. प्रार्थी ने स्वयं के प्रार्थना–पत्र के समर्थन में स्वयं प्रार्थी लिखमाराम ए.डब्ल्यू. 1 को साक्ष्य में प्रस्तुत किया। दस्तावेजी साक्ष्य में लिखमाराम का मूल आधार कार्ड प्रदर्श 1 व फोटोप्रति प्रदर्श 1ए तथा हेमीदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 व फोटोप्रति प्रदर्श 2ए पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

6. बहस एकपक्षीय सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। विचारणीय बिन्दु के संबंध में मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी लिखमाराम ए.डब्ल्यू. 1 ने अपने साक्ष्य रूपी शपथ पत्र में अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ही पुनरावृत्ति की है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थी लिखमाराम के आधार कार्ड एवं मृतका हेमीदेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के खण्डन में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, न ही प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति ही पेश हुई है। मृतका हेमीदेवी की मृत्यु होना भी पत्रावली पर उपलब्ध मूल मृत्यु प्रमाण पत्र हेमीदेवी प्रदर्श 2 से स्पष्ट है। ऐसी दशा में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा विप्रार्थी संख्या 2 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 11.03.2026 को उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है, इसलिए प्रार्थी लिखमाराम उसकी माता मृतका हेमीदेवी पत्नी शेराराम के नाम भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय दाया भाग, भूतल, जीवन निधि–1, भवानीसिंह रोड, जयपुर राजस्थान 302006 के पास जमा वर्ष 2023 की खरीफ फसल बीमा राशि 36,887/– रुपए प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते उत्तराधिकार प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

—:: <u>आदेश</u> ::—

7. अतः प्रार्थी लिखमाराम पुत्र शेराराम, निवासी जैताणियों की ढाणी, खुडासा, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी उसकी माता मृतका हेमीदेवी पत्नी शेराराम के नाम भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय दाया भाग, भूतल, जीवन निधि—1, भवानीसिंह रोड, जयपुर राजस्थान 302006 के पास जमा वर्ष 2023 की खरीफ फसल बीमा राशि 36,887/— रुपए प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रार्थी को हेमीदेवी पत्नी शेराराम का विधिक उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा नियमानुसार न्यायशुल्क पेश करने पर प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

(अजिताभ आचार्य)
जिला न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर (राज.)

8. निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
जिला न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर (राज.)

VINITA DHANWANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by VINITA DHANWANI
Date: 2026.04.10 16:49:36 +0530